मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 2012 (फाल्गुन 29, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, पूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किये गए। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह एवं पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी शोकोदगार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.36 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 10.42 बजे पुन: समवेत हुई।

2. बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार विजय पर बधाई

अध्यक्ष महोदय तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 18 मार्च,2012 को भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप के एक दिवसीय मैच में शानदार विजय तथा श्री विराट कोहली, क्रिकेटर के उल्लेखनीय प्रदर्शन पर सदन की ओर से उन्हें बधाई दी गई। माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 125 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 117 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने पुष्पराजगढ़ के ग्रामों में छात्रावास भवन की स्वीकृति देने,
(2) श्री रामकिशोर कांवरे, सदस्य ने परसवाड़ा के बालाघाट में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने,
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ के बैंक एवं पंचायतकर्मियों का समय पर वेतन भुगतान न होने,
(4) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने खंडवा में पेयजल संकट होने,
(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कटौती होने तथा
(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में दूध एवं मावे में मिलावट पर रोक लगाने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. अध्यक्षीय घोषणा

ऊर्जा एवं खनिज साधन विभाग की मांगों के क्रम में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित ऊर्जा एवं खनिज साधन विभाग की मांगे दिनांक 20 मार्च, 2012 को लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने –
(क) दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 एवं
(ख) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, पटल पर रखे।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने उनके विभाग की अधिसूचनाएं – (i) दिनांक 3 फरवरी, 2012, (ii) दिनांक 10 फरवरी 2012 तथा (iii) दिनांक 24 फरवरी, 2012 पटल पर रखीं।

7. ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी क्षेत्र में विद्युत की कटौती की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोती कश्यप, सदस्य (जिला-कटनी)
(2) श्री मोतीलाल तिवारी (जिला-सतना)
(3) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम शहर)
(4) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(5) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(7) श्री परसराम मुद्गल (जिला-मुरैना)
(8) श्री सुदामा सिंह सिग्राम (जिला-अनूपपुर)
(9) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(10) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(11) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)

9. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 14, 15, 16 मार्च, 2012 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(7) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए नौ सौ उनचालीस करोड़,नौ लाख, इकसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए इक्यावन करोड़, इक्यासी लाख, छिहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 35	पुनर्वास के लिए इक्यासी लाख, बारह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए नौ सौ छियासठ करोड़, तिरसठ लाख, पन्द्रह हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री मनीराम धाकड़
(4) श्री सुरेश चौधरी
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) श्री रामलखन सिंह
(7) श्री सुदामा सिंह सिग्राम
(8) श्री विश्वेश्वर भगत
(9) श्री रामलल्लू वैश्य
(10) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(11) डॉ. बाबूलाल वर्मा
(12) श्री रामलाल मालवीय
(13) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(14) श्री के.पी. सिंह
(15) श्री पारस सकलेचा
(16) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(8) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार दो सौ इक्यासी करोड़, तैंतालीस लाख, चौतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए एक हजार तीन सौ सात करोड़, पचासी लाख, सत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय के लिए एक सौ इक्यासी करोड़, बासठ लाख, इक्यासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता के लिए एक हजार आठ सौ निन्यानवे करोड़, चालीस लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए इक्यासी करोड़, पैंसठ लाख रूपये
अनुदान संख्या – 62	पंचायत के लिए एक सौ चौबीस करोड़, तिरपन लाख, पच्चीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 74	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए पांच हजार तीन सौ छियानवे करोड़, उन्नीस लाख, सतानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार
(3) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(4) श्री सुदामा सिंह सिंग्राम
(5) श्री सुरेश चौधरी
(6) श्री नारायण प्रजापति
(7) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(8) श्री जेवियर मेड़ा
(9) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(9) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 10	वन के लिए एक हजार चार सौ चौवन करोड़, चौसठ लाख, इक्यासी हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री सुदामा सिंह सिंग्राम
(3) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा
(4) श्री रामलल्लू वैश्य
(5) कुंवर विक्रम सिंह
(6) श्री पारस सकलेचा
(7) श्री मदन कुशवाह
(8) श्री रमेश प्रसाद खटीक

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.02 विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2012 (फाल्गुन 30, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2012